आवासीय भूखण्ड योजना 2009(1) के ब्रोशर की नियम एवं शर्तों के आलोक में लीज डीड निष्पादिन कराने हेतु निम्न औपचारिकतायें पूर्ण करना सुनिश्चित करें :–

1. रू0 4750/– की दर से भूखण्ड के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत की धनराशि लीज रेन्ट के रूप में एक मुश्त जमा कराना होगा।
2. रू0 20,100/–(नकद) लीज डीड के समय सबरजिस्ट्रार कार्यालय में जमा कराने होगे।
3. डाक्यूमेन्टशन चार्ज/वाटर कनेक्शन चार्ज/सीवर कनेक्शन चार्ज/रैम्प चार्ज/इलेक्ट्रिक एंव टेलीफोन पाईप चार्जेज/ड्रेन चार्जेज का भुगतान परियोजना विभाग द्वारा निर्धारित शुल्क के अनुसार लिया जाना प्रस्तावित है।

भूखण्ड का आकार वर्गमी0 में	डाक्यूमेन्टशन चार्ज (रू0 में)	वाटर कनेक्शन चार्ज (रू0 में)	सीवर कनेक्शन चार्ज सीवर कनेक्शन चार्ज (रू0 में)	रैम्प चार्ज रैम्प चार्ज एवं टॉवेल चार्ज (रू0 में)	इलेक्ट्रिक चार्जेज (रू0 में)	टेलीफोन पाईप चार्जेज (रू0 में)	कुल योग
2000	120.00	1,712.00	97,07.00	67,117.00	5,800.00	4,735.00	89,191.00
4000	120.00	1712.00	97,07.00	81076.00	5,800.00	4,735.00	103030.00

नोटः–**उपरोक्त श्रेणी के भूखण्ड के क्षेत्रफल के ±10 के प्रतिशत वेरियेशन तक आवंटन के क्षेत्रफल की श्रेणी की निर्धारित दरों को लागू मानी जायेगी। इससे अधिक वैरियेशन आने पर ऊपर या नीचे की श्रेणी की दरे मानी जायेगी। सीवर के लिए एक से अधिक कनेक्शन लेने पर तद्नुसार अतिरिक्त चार्जेज देय होगा। जल पूर्ति हेतु केवल एक ही कनेक्शन ही दिया जायेगा।**

4. स्टाम्प के गणना सब–रजिस्ट्रार कार्यालय गौतमबुद्व नगर से कराना सुनिश्चित करे।
5. इसके अतिरिक्त लीज डीड हेतु राजपत्रित अधिकारी /बैंक द्वारा सत्यापित पॉच पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ जमा कराने होंगे।
6. राजपत्रित अधिकारी/बैंक द्वारा दो सत्यापित हस्ताक्षर जमा कराने होंगे।
7. स्वयं सत्याापित पहचान पत्र की छायाप्रति जमा करानी होगी।
8. लीज डीड से पूर्व भूखण्ड के विरूद्व समस्त प्रकार की देयता की धनराशि को प्राधिकरण द्वारा अधिकृत बैंक/बैंक शाखा में जमा कराना होगा।
9. आवंटी को लीज डीड निष्पादित कराने से पूर्व यदि किसी बैक से ऋण आदि लिया गया हो तो उस बैंक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्राधिकरण में जमा कराना होगा।
10. रू0 10 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि भविष्य की समस्त प्रकार देयता को आवंटी/अन्तरिकी द्वारा समयान्तर्गत जमा करायी जायेगी तथा वे आवासीय भूखण्ड योजना 2009(1) के नियम एंव शर्तों का पालन करेगें।
11. चेक लिस्ट जारी होने की तिथि से 3 वर्ष के अन्दर भूखण्ड का निर्माण कर कार्यपूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। उक्त अवधि के पश्चात् लीज डीड में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार बिलम्ब शुल्क देय होगा।

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण
प्रथम तल, कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, ब्लॉक–पी–2, सेक्टर ओमेगा–1, ग्रेटर नौएडा सिटी – 201308,जिला–गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)
दूरभाष न0 – 0120 – 2395201, फैक्स न0 – 0120 – 2395150